

प्रेसनोट दिनांक 23.04.2021

1. दिनांक 22.04.21 को वादी श्री कमरुज्जमा पुत्र बजहुल कमर नि० मिर्जापुर थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 51 टी 6801 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के वाहन के वाहन को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर देना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 185/21 धारा 279, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 22.04.21 को वादी उ०नि० श्री सुरेश कुमार गुप्ता थना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम मिलन निषाद पुत्र स्व० केशवराम नि० लालपुर भदरसा थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 164/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 22.04.21 को वादी उ०नि० श्री संजय कुमार सिंह थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम मूर्ति यादव पुत्र राम सर्वारे यादव नि० बेरूदा मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 186/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 22.04.21 को वादी श्री राम अतुल वर्मा पुत्र राम भवन वर्मा नि० मऊ नुवावा बैदरा थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वंशराज पुत्र ओरौनी नि० मऊ नुवावा बैदरा थाना हैदरगंज अयोध्या अभियुक्त द्वारा वादी को गाली देते हुए मारना पीटना व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 97/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।